

श्रीमान तहसीलदार

विभाग

प्रमाण

अपराध विभाग/सर्विल निदेश नं. अवं लाल
आपका किशोरलाल जाति भीमा
के खिलौडा की जमाबंदी में 66, 124, 125, 126, 127, 128
जाति अंबीलाल दर्ज है। जो पुरी अंबीलाल
के अंबीलाल के स्थान पर अंबरलाल
करने का कदम लें।

प्रमाण अंबरलाल/अ

नाम अंबरलाल पुत्र किशोरलाल भीमा

रिपोर्ट पटवारी द्वारा खिलौडा दिनांक 21/06/18

प्रार्थी अंबरलाल पुत्र किशोरलाल के प्रार्थना पत्र पर
सजमे खास में जानकारी ली गई, जिसके अनुसार प्रार्थी को अंबरलाल
नाम/ जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/ जाति अंबीलाल के स्थान पर अंबरलाल
करने के किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम / जाति अंबीलाल
के स्थान पर उसका नाम / जाति अंबरलाल करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा 21/06/18

पटवारी हल्की जमवारा/अ मोणा
खिलौडा
तहसील जमवारा जमवारा

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख)

कमांक भू.अ./

दिनांक

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार प्रार्थी अंबरलाल
आत्मज्ञ अंबरलाल जाति भीमा निवासी खिलौडा के खाते
ग्राम खिलौडा के नाम दर्ज नाम/ जाति अंबीलाल के स्थान पर अंबरलाल
शुद्ध करण की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) जमवारा/अ

मुण्डा 9/1/18
अंबरलाल जमवारा
खिलौडा-131, 132, 136, 137

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारा/अ जमवारा/अ

कमांक :

दिनांक 21/6/18

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार जमवारा/अ की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री अंबरलाल पुत्र श्री
अंबरलाल जाति भीमा निवासी खिलौडा का नाम / जाति
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंबीलाल
के स्थान पर अंबरलाल शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

जमवारा/अ
उपखण्ड अधिकारी
जमवारा/अ